इंदौर से पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर पर भी चलेगी मेट्रो

▶ 75 मीटर चौड़ी सड़क में मेट्रो का प्रावधान

वीरेंद्र वर्मा

इंदौर. शहर के पश्चिम क्षेत्र में गांधीनगर डिपो से इंदौर पीथमपुर के बीच मेट्रो चलाने का प्रस्ताव है. इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क योजना के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया गया है. सबसे खास बात यह है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क के बीच में मेट्रो के पियर खड़े करने के लिए अभी से कच्ची जमीन छोड़ी जा रही है. इतना ही नहीं एमपी मेट्रो ने भी उक्त सड़क के साथ पीथमपुर तक लाइन डालने के प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है. एमपीआईडीसी ने यह भविष्य को ध्यान में रखकर सड़क के साथ मेट्रो का प्रावधान भी जोड़ा है, जिसे राज्य सरकार ने भी मंजूरी दी है.

पिछले दिनों राज्य सरकार ने इंदौर से पीथमपुर तक 19 किलोमीटर इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क का गजट नोटिफिकेशन किया है. उक्त सड़क में एमपीआईडीसी ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सड़क के बीच से एलिवेटेड मेट्रो रेल का प्रावधान किया है. इसके लिए सड़क बीच में 3.6 मीटर जमीन छोड़कर सड़क का निर्माण किया जाएगा. सड़क के दोनों मुख्य कैरेज वे का एक एक हिस्सा भी मेट्रो के पियर खड़े करने के दौरान लगने वाली जगह के लिए छोड़ा जाएगा. इस तरह इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में मेट्रो का प्रावधान कर इंदौर को पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र से जोड़ने का प्लान किया गया है. 19 किलोमीटर लंबी होगी सड़क -यह सड़क 13 सौ हेक्टेयर जमीन पर बनाई जाएगी. उक्त सड़क 75 मीटर चौड़ी और 19 किलोमीटर लंबी बनेगी. इसके लिए 17 गांव की जमीन ली जा रही है. सड़क के दोनों ओर 300 मीटर की जमीन भी अधिग्रहित होगी, जिसमें होटल्स, मॉल और मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिस खुलेंगे. किसानों को विकसित प्लाट भी- ध्यान रहे कि इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क में किसानों को 20 प्रतिशत राशि नकद और बाकी 40 प्रतिशत राशि के विकसित प्लॉट दिए जाएंगे. इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क योजना कुल 13 सौ हैक्टेयर जमीन पर लागू की गई है, लेकिन सड़क 11 सौ हैक्टेयर पर ही बनेगी. बाकी 2 सौ हैक्टेयर जमीन ग्रामीण क्षेत्रों की अभी शामिल नहीं की जा रही है. उक्त जमीन गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली सड़कों के लिए रखी गई है. मेट्रो के अफसर भी सक्रिय हुए- बताया जा रहा है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना में मेट्रो का प्रावधान करने के बाद एमपी मेट्रो के अधिकारियों ने भी गांधीनगर चौराहे से पीथमपुर तक मेट्रो लाइन के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू कर दिया है. इकोनॉमिक कॉरिडोर के टेंडर होने एक बाद मेट्रो भी डीपीआर तैयार करना शुरू कर देगा और मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजेगा.

पहली जमीन की रजिस्ट्री सोमवार को- एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक हिमांशु प्रजापति ने बताया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क को मंजूरी मिल गई है. योजना में जिन किसानों ने पहले ही सहमति दे दी है, उनकी रजिस्ट्री पहले होगी. इसी के तहत सोमवार को ग्राम भेंसलाय के किसान की पहली रजिस्ट्री होगी, जिसका स्लॉट पंजीयन विभाग में बुक करा दिया है. इसके बाद लगातार किसानों की रजिस्ट्री का कार्य शुरू होगा, जो योजना की पूरी जमीन मिलने तक जारी रहेगा.

मेट्रो रेल का पीथमपुर से जुड़ने का फायदा

इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना के साथ मेट्रो रेल से पीथमपुर का जुड़ना बहुत फायदेमंद साबित होगा. एमपीआईडीसी के अधिकारियों की दूरदृष्टि का परिणाम है कि उन्होंने सड़क के साथ मेट्रो लाइन के लिए प्रावधान किया. केवल प्रावधान नहीं बल्कि उसके लिए बकायदा सड़क के सेंटर में जमीन भी अभी से छोड़ दी है. गांधीनगर से पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया मेट्रो से जुड़ने के बाद आने जाने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट और शहर में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए भी कनेक्टिव मेट्रो रेल मिलेगी. एक बड़ा हिस्सा दो जिलों और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में मेट्रो नेटवर्क के लिए फ़ायदा करेगा.

डीपीआर में मेट्रो का प्रावधान

एमपीआईडीसी की बहुचर्चित इकोनॉमिक कॉरिडोर योजना का जो ड्राफ्ट बनाया गया है, उसमें 75 चौड़ी सड़क के बीच में 3.6 मीटर जमीन छोड़ी गई है. उक्त 3.6 मीटर जमीन को मेट्रो के पियर खड़े करने के लिए छोड़ने का उल्लेख है. सड़क निर्माण के डी मुख्य कैरेज वे दोनों तरफ चार चार लेन का प्रस्ताव है, लेकिन शुरू में यह तीन तीन लेन ही बनाई जाएगी. इसकी वजह यह है कि मेट्रो रेल लाइन निर्माण के दौरान सड़क का एक हिस्सा दोनो तरफ खराब होगा. एमपीआईडीसी ने निर्णय लिया है कि मेट्रो के पियर के पास वाली एक एक लेन सड़क मेट्रो लाइन का काम पूरा होने के साथ बनाई जाएगी.

विकास प्राधिकरण बेगम बाग में लगातार कर रहा कार्रवाई

▶ लीज निरस्ती के बाद कोर्ट पहुंच रहे मामले, जहां से नहीं मिल रही राहत

उज्जैन. महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर हरि फाटक ब्रिज के आगे भूखंड क्रमांक 19 पर अंगारा रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था, जिसे मकान मालिक ने खुद ही तोड़ना प्रारंभ कर दिया है, और वह मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है, बचे हुए निर्माण को विकास प्राधिकरण हटाएगा.

नवभारत से चर्चा में विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि 30 से ज्यादा संपत्तियों की लीज निरस्त कर दी गई, जिनका आधिपत्य हमारे द्वारा धीरे-धीरे प्राप्त किया जा रहा है, क्योंकि कई मामले कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गए हैं, जहां से कइयों को स्टे मिल गया था, जो-जो स्टे हटते जा रहे हैं वह संपत्तियां पुन: प्राप्त कर रहे हैं.

खुद ही हटा रहे अंगारा-दरअसल हरि फाटक ब्रिज के आगे अंगारा रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा था, जहां पर वेज और नॉनवेज की शॉप संचालित की जाती थी. महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर यह संपत्ति भी विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई थी, लीज निरस्त होने के बाद कोर्ट से भी इन्हें राहत नहीं मिली. ऐसे में विकास प्राधिकरण यहां बड़ी कार्रवाई करने वाला है, जिसके भय से अंगारा होटल संचालक ने निर्माण खुद ही हटाना प्रारंभ कर दिया.

केस हटने के बाद फिर होगी कार्रवाई- विकास प्राधिकरण ने बेगम बाग के जिन मकान दुकान मालिकों को नोटिस जारी किए थे, उनमें से कई मकान को प्राधिकरण स्वयं तोड़ चुका है, वहीं कुछ मकान- दुकानों को खुद अपने हाथों से तोड़ रहे हैं, ताकि ज्यादा नुकसान न हो. लीज समाप्त होने के बाद यह सारी संपत्ति विकास प्राधिकरण की हो गई है, और बाकी जिनके केस व चल रहे हैं उनका फैसला होने के बाद आगे की प्रक्रिया होगी.

30 से अधिक संपत्तियों की लीज निरस्त- हरि फ़ाटक मार्ग पर ब्रिज से आगे बेगम बाग और महाकाल मंदिर के नीलकंठ मार्ग के बीच में 30 से अधिक संपत्तियों को विकास प्राधिकरण लीज निरस्त करके वापस प्राप्त कर रहा है, यही कारण है कि दर्जन भर से अधिक कब्जाधारियों को नोटिस मिले थे, वह कोर्ट गए, वहां से किसी को भी सफलता नहीं मिली.

अनुमति आवासीय और चला रहे हैं होटल-उक्त मकान मालिकों ने लीज नवीकरण नहीं कराया. आवासीय प्रॉपर्टी पर व्यावसायिक गतिविधियां प्रारंभ कर दी. होटल और होमस्टे बना दिए. प्रॉपर्टी के टुकड़े-टुकड़े करके दूसरों को बेच दिया और इस तरह की कई और भी शिकायत चल रही, जिनकी जांच कराई गई तो बड़ा मामला सामने आया.

जल्द होगी आगे की कार्रवाई-यह अच्छी बात है कि अंगारा सहित कुछ और मकान मालिक स्वयं के हाथों से कब्जा हटा रहे हैं, ताकि ज्यादा उनका नुकसान ना हो. जो सामान निकलना चाहते हैं अपने मकान, दुकान होटल से निकाल सकते हैं. विकास प्राधिकरण जल्द ही आगे की कार्रवाई करेगा.

- संदीप सोनी, सीईओ, यूडीए

प्रधानमंत्री की प्रस्तावित बदनावर यात्रा 25 को

नव भारत न्यूज

इंदौर. पीएम मित्र पार्क योजना का भूमिपूजन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आ सकते हैं. एमपीआईडीसी द्वारा उक्त पीएम पार्क योजना का विकास किया जाएगा. साथ ही कुछ उद्योगपतियों को जमीन आवंटन के पत्र भी सौंपे जाएंगे.

एमपीआईडीसी द्वारा धार जिले के बदनावर के ग्राम भेंसला में 2 एकड़ में पीएम मित्र पार्क योजना विकसित की जा रही है. यह पार्क बदनावर से पेटलावद मार्ग पर बनाया जाएगा, जिसका भूमिपूजन प्रधानमंत्री द्वारा 25 अगस्त की शाम 4 बजे करने की संभावना है. अभी यह कार्यक्रम प्रस्तावित है. बताया जा रहा है कि उक्त पीएम पार्क योजना में कई उद्योगपतियों के शामिल होने की संभावना है. प्रधानमंत्री उक्त भूमिपूजन में आते हैं तो वे कुछ जमीनों के आवंटन पत्र भी वितरित करेंगे.

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड

कार्यालय मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) ऊर्जा परिसर, जी.पी.एस. कैंपस, पोलोग्राउंड, इंदौर

माह जुलाई-2025 की अवधि में म.प्र.प.क्षे.वि.वि.कं.लि. इंदौर क्षेत्र द्वारा प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे

मैं, कामेश श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता (इंदौर क्षेत्र) इंदौर, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के निर्देश दिनांक 21.03.2005 के पालन में निम्नलिखित जानकारी माह जुलाई-2025 के संबंध में सार्वजनिक सूचना के लिये प्रकाशित करता हूं।

क्र.	विवरण	प्रतिदिन विद्युत प्रदाय के औसत घण्टे		
		जून-2025	जुलाई-2025	जुलाई-2024
1	संभागीय मुख्यालय	23:53:31	23:55:48	23:57:17
2	जिला मुख्यालय	23:49:21	23:55:41	23:53:02
3	तहसील मुख्यालय	23:36:33	23:46:59	23:45:24
4	घरेलू उपभोक्ता	23:19:26	23:40:29	23:32:37
5	सिंचाई उपभोक्ता	09:32:10	09:44:24	09:39:01

बिजली की बचत कीजिए

म.प्र. माध्यम/121472/2025 — **मुख्य अभियंता (इं.क्षे.)**

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित

Your host in the heart of India www.mpstdc.com

पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल-462003

फोन नं. : +91-755-4027100, 2774340/42, www.mpstdc.com

क्रमांक 301/यांत्रिकी/पविनि/25 — **दिनांक 07.08.2025**

निविदा सूचना

मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन (Online) निविदा प्रपत्र APPENDIX 2.10 पर म.प्र. लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है।

क्र.	नि.सू. क्र./सिस्टम आई.डी./कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि रु. लाख में
1	139/2025_STDC_442913_1/मालवा रिसोर्ट मांडू जिला धार में सोविनियर शॉप का निर्माण आंतरिक विद्युत कार्य सहित। (03 माह)	13.61
2	140/2025_STDC_442914_1/सैलानी आइलेण्ड रिसोर्ट ओंकारेश्वर जिला खण्डवा में सोविनियर शॉप का निर्माण आंतरिक विद्युत कार्य सहित। (03 माह)	13.61

वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्युमेंट) वेबसाइट के माध्यम से क्रय किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 22.08.2025 समय सायं 05:00 बजे तक** निर्धारित है। कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

म.प्र. माध्यम/121475/2025 — **कार्यपालन यंत्री**

MSME | MPIDC MP INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD. | उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025 इन्वेस्ट मध्यप्रदेश अनंत संभावनाएं

स्वदेशी उत्पादन की राह पर मध्यप्रदेश

₹ 603 करोड़ से अधिक निवेश की औद्योगिक इकाइयों का

भूमिपूजन एवं लोकार्पण तथा आशय पत्र वितरण

₹ 208 करोड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों का

भूमिपूजन एवं लोकार्पण

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री — डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री

डॉ. मोहन यादव

द्वारा

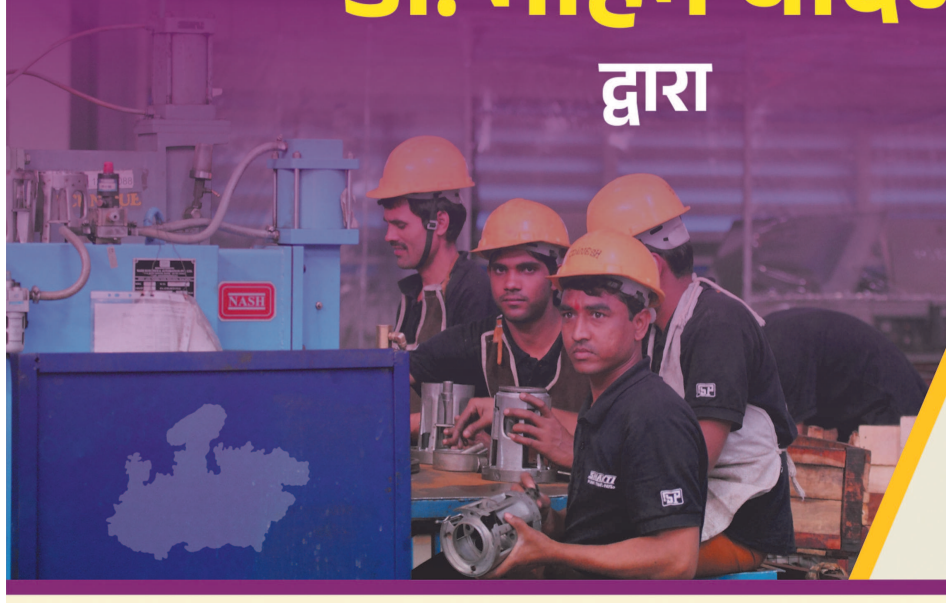

उद्योगपतियों से संवाद

8 अगस्त, 2025

पूर्वाह्न 11:30 बजे

औद्योगिक क्षेत्र तामोट

जिला रायसेन

मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

सीधा प्रसारण

@Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

D11076/25 आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 **RNI Reg. No.7590/60**